Received from GOI Press 12-45
19/6/91

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1991/ज्येष्ठ 11, 1913

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1991/JYAISTHA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1991

सा. का. नि. 335.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ होना

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक भर्ती नियमावली, 1991 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान वही प्रकार होंगे, जिस प्रकार इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद के लिए भर्ती प्रणाली, आयु सीमा और उससे संबंधित अर्हताएं और अन्य मामले वही होंगे, जिस प्रकार पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

Attested
Ram Parkash

Asstt. Controller
भारत सरकार,
Govt. of India,
प्रकाशन विभाग,
Department of Publication
सिविल लाइन्स, दिल्ली
Civil Lines, Delhi.

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी प्रशिक्षण अधिकारी	11* (1991) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' राजपत्रित, अननुसचिवीय	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : (1) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य। या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य या किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य;	नहीं	वर्ग 'ग' से पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष।

9

(2) हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान दिया जाएगा।

या

हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण: (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(2) अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय: (i) उच्चतर माध्यमिक/सीनियर सेकेंडरी तक संस्कृत और/या किसी आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।

(2) टिप्पण और प्रारूपण से संबंधित हिन्दी कक्षाओं या कर्मशालाओं का आयोजन करने का अनुभव।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

11

प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।

12

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:

1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;

या

(2) जिन्होंने 1640–2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; या

(3) जिन्होंने 1400–2300 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

2. बाहरी व्यक्तियों के साथ 1400–2300 रु. वेतनमान वाले ऐसे विभागीय हिन्दी अनुवादक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा कर ली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन होने की दशा में, यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)

11-1-94

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुष्टि के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : 1. निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून—अध्यक्ष। 2. संयुक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डाकघर न्यू फोरेस्ट' देहरादून—सदस्य। 3. आचार्य/सह आचार्य (केन्द्रों में ज्येष्ठतम) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, डाकघर न्यू फोरेस्ट, देहरादून—सदस्य। 4. पर्यावरण और वन मंत्रालय का समुचित प्रास्थिति का एक अधिकारी—सदस्य।	चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा।

टिप्पण :—सीधी भर्ती की पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[सं. 9-3/89-प्रशा.5]

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment, Forests and Wildlife)

New Delhi, the 4th May, 1991

G.S.R. 340.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Training Officer in the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehra Dun, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indira Gandhi National Forest Academy (Hindi Training Officer) Recruitment Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, its and scales of pay.—The number of the said post, classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person ;

shall be eligible for appointment to the post of Hindi Training Officer :

Provided that the Central Government, may if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
Training Officer Hindi	1* (1991) *Subject to variation dependent on on workload.	General Central Service Group 'B', Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500.

Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
5	6	7
Not Applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panagi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	No

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10	11
Essential : (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level; OR Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level; Or Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level;	No	2 years for promotees from Group 'C' and for direct recruits.	By Promotion/transfer/ on deputation failing which by direct recruits.

8	9	10	11

Or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi Medium and English as a subject at the degree level;

Or

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English Medium and Hindi as a subject at the degree level.

(ii) 5 years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature.

Or

5 years' experience of teaching, research writing or journalism in Hindi.

Note : 1.—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.

Note : 2.—The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Desirable :

(i) Knowledge of Sanskrit and/or of a modern Indian Language at Higher Secondary/ Senior Secondary Level.

(ii) Experience of organising Hindi Classes or workshops for noting drafting.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion/Transfer on deputation : 1. Officers of the Central /State Governments holding : (a) (i) analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years regular service in post in the scale of Rs. 1640-2900/- or equivalent ; or (iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300/- or equivalent and (b) Possessing educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column 8. 2. The Departmental Hindi Translator in The scale of Rs. 1400–2300/- with 8 years regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion. (The Departmental Officers in the feeder cadre who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointments on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration by promotion). Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall not exceed 3 years.	Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation : 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehra Dun—Chairman. 2. Joint Director, IGNFA, P.O. New Forest Delua Dun—Member. 3. Professor/Associate Professor (Sr. Most in Stations) IGNFA, P.O. New Forest, Dhetra Dun—Member. 4. An officer of appropriate status of the Ministry of Environment and Forests—Member. Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation of direct recruitment shall be sent to the Commission for approval if however these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presibed over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Commission.

[No. 9—3/89-F

नई दिल्ली, 14 मई, 1991 Attested

सा.का.नि. 341.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन शिक्षा निदेशक, देहरादून के का में हिन्दी अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :— Ram Parkash

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन शिक्षा निदेशक, देहरादून (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।